मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5399

25 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य-निष्पादन

5399. श्री जुगल किशोर शर्मा :

श्रीमती रीती पाठक :

श्री हेमन्त पाटिल :

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के आरंभ से इसके अन्तर्गत शहरी आवास सुविधाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं हेतु वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधि आबंटित/स्वीकृत की गई है;

(ख) अब तक उक्त योजना के अन्तर्गत क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान योजना के कार्य और कार्य-निष्पादन के संबंध में कोई समीक्षा/आंकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार ने योजना को उचित प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए कोई केन्द्रीय निगरानी प्रणाली विकसित की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) {पीएमएवाई(यू)} की शुरुआत से उसके तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुमोदित केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ख) : स्कीम के तहत अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा अनुलग्नक-II में संलग्न है।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : पीएमएवाई(यू) के तहत मंत्रालय स्तर पर एक केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) बनाई गई है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी इसकी बैठकों में भाग लेते हैं। सीएसएमसी राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करती है और तदनुसार उचित कार्रवाई करती है।

(ड.) : मंत्रालय ने समयबद्ध ढंग से प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई(यू)] के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित निगरानी तंत्र की व्यवस्था की है :

i. पीएमएवाई(यू)-एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) के माध्यम से सूचना/अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, भुवन पोर्टल, पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) और प्रभावी निगरानी हेतु स्वीकृत आवासों की जियो-टैगिंग/जियो फेंसिंग।

ii. पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड अथवा लाभार्थियों की आधार सीडिंग के जरिए किया जाता है।

iii. मंत्रालय मिशन की प्रगति पर आवधिक समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग और फील्ड दौरों के जरिए नज़र रखता है।

iv. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) नई परियोजनाओं हेतु केंद्रीय सहायता स्वीकृत करने के लिए प्रत्येक माह में बैठक आयोजित करती है और मिशन की प्रगति की समीक्षा करती है।

v. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) राज्य स्तर पर मिशन की प्रगति की समीक्षा करती है।

अनुलग्नक I

दिनांक 25.07.2019 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5399 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत शुरुआत से शहरी आवासों के निर्माण हेतु विभिन्न परियोजनाओं हेतु अनुमोदित केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार विवरण

क्र.सं..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (यूटी)	-	-	9.14	0.05	-
2	आंध्र प्रदेश	2,939.42	4.45	7,368.92	8,447.65	71.08
3	अरुणाचल प्रदेश	77.39	1.05	67.31	2.88	-
4	असम	0.04	167.42	672.17	52.50	184.76
5	बिहार	688.13	665.28	852.57	1,767.24	222.92
6	चंडीगढ़ (यूटी)	0.04	0.07	1.17	3.42	0.72
7	छत्तीसगढ़	85.05	239.25	1,312.91	1,679.85	124.56
8	दादरा और नगर हवेली (यूटी)	0.02	13.21	36.18	27.18	4.68
9	दमन और दीव (यूटी)	-	0.79	7.10	7.46	0.96
10	दिल्ली (यूटी)	1.26	2.38	56.93	230.17	28.33
11	गोवा	0.02	0.20	3.07	8.99	2.36
12	गुजरात	1,337.63	678.63	1,817.40	4,705.45	655.77
13	हरियाणा	208.79	15.43	823.40	3,059.41	32.57
14	हिमाचल प्रदेश	43.90	52.56	51.35	5.37	1.66
15	जम्मू और कश्मीर	15.98	88.25	124.01	301.87	1.18
16	झारखंड	206.06	726.39	1,273.37	280.75	311.87
17	कर्नाटक	889.25	1,240.37	3,630.85	3,365.84	96.31
18	केरल	66.85	379.53	890.80	569.37	35.95
19	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	848.03	2,171.73	3,539.88	3,995.95	146.32
21	महाराष्ट्र	30.88	1,784.89	1,374.05	11,133.4	746.97
22	मणिपुर	-	146.25	250.66	245.76	-
23	मेघालय	0.02	0.80	11.05	21.94	36.40
24	मिजोरम	163.92	0.18	288.89	5.74	0.28
25	नगालैंड	41.68	187.59	0.10	183.19	44.77
26	ओडिशा	350.23	390.11	543.01	929.78	12.87
27	पुदुचेरी (यूटी)	0.13	57.86	59.80	56.00	1.27
28	पंजाब	0.83	599.19	32.72	212.08	32.86
29	राजस्थान	638.02	47.60	1,075.60	1,134.55	104.09
30	सिक्किम	-	0.02	7.77	0.18	0.07
31	तमिलनाडु	652.54	2,831.85	3,137.84	2,981.83	364.20
32	तेलंगाना	1,231.31	19.66	1,646.12	341.98	88.26
33	त्रिपुरा	78.00	512.94	494.85	154.49	0.71
34	उत्तर प्रदेश	284.01	154.42	5,340.13	11,908.4	2,206.97
35	उत्तराखण्ड	170.36	30.30	175.80	239.10	20.26
36	पश्चिम बंगाल	1,140.66	1,034.14	960.41	2,199.09	79.55
	कुल	12,190.42	14,244.80	37,937.31	60,258.9	5,661.54

अनुलग्नक II

दिनांक 25.07.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5399 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां

[दिनांक 15.07.2019 की स्थिति के अनुसार]

क्र.सं.	**विवरण**	**अखिल भारत में**
1	कवर किए गए शहर / नगर	4,468
2	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	17,113
3	अनुमोदित परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	4,96,683
4	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	1,30,293
5	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	51,550
6	स्वीकृत आवास (संख्या)	83,68,861
7	निर्माण के लिए तैयार आवास (संख्या)	49,54,357
8	निर्माण कार्य पूरे किए गए आवास (संख्या)	26,13,799